भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 272

जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

फर्जी मतदाता

272 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह दिखाने के लिए कोई शोध किया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने से किस प्रकार फर्जी मतदाताओं की संख्या कम होगी ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार तंत्र के भीतर फर्जी मतदाताओं की संख्या या उनके प्रतिशत का ब्यौरा रखती है ;

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2017 से अब तक का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ड.) क्या सरकार ने आधार डेटाबेस में मतदाता पहचान पत्र के छोटे डेटाबेस के विलय से फर्जी मतदाता संबंधी मुद्दे के बिगड़ जाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी, नहीं। इस प्रकार का कोई शोध नहीं किया गया है। तथापि, फर्जी मतदाताओं का कोई प्रश्न नहीं है । आधार के साथ मतदाता पहचान-पत्र का संयोजन कुछ ऐसे मामलों में निर्वाचक नामावली में बहु प्रविष्टियों से संबंधित है, जहां निर्वाचक, नामावली में पूर्व प्रविष्टि को प्रकट किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं । चूंकि, आधार ही एक मात्र उपलब्ध बायोमैट्रिक द्वारा संचालित विशिष्ट पहचान है,

इसका प्रयोग निर्वाचक की सहायता करेगा। यह उस प्रणाली को सुकर बनाएगा जहां संबंधित निर्वाचक निर्वाचन नामावली में भी एकल और विशिष्ट पहचान रखेंगे ।

(ग) : प्रत्येक पात्र नागरिक नामावली में रहने का हकदार है । प्रतिशतता को बनाए रखने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(घ) से (च) : दोनों डाटाबेस भिन्न हैं और अतिव्यापन नहीं करेंगे । अतः, प्रश्न ही नहीं उठता है ।

******